



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 54 / का.प. / बैठक / 2022

बिलासपुर, दिनांक 18/08/2022

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की बैठक संख्या 09/आपात/2022, दिनांक 18/08/2022, दिन गुरुवार को अपराह्न 02:30 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर के सिरपुर प्रशासनिक भवन में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 2, 3, 4, 5 एवं 9 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :-

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
3. श्री एस.एल.नायक (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)
4. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)
5. श्री एम. डी. दीवान (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)
6. पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु — सदस्य
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)
7. डॉ. प्रफुल्ल शर्मा — सदस्य
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)
8. श्री उचित सूद — सदस्य
होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

9. डॉ. प्रकृति जेम्स (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) — सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- डॉ. इंदु अनंत — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष उपस्थिति/विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके :-

1. श्री संतराम नेताम — सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
2. श्री गुलाब कमरो — सदस्य
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर
3. श्री आर. के. पटेल — सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये —

प्रस्ताव क्र. 01 — बी.एड. में प्रवेश की व्यवस्था पर विचार।

निर्णय —

1. उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ.ग. को बी.एड. पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु 50 सीट नये केन्द्र के रूप में दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. रॉयल महाविद्यालय राजनानंदगांव को उनके पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार (साक्षात्कार हो चुका है तथा हेमचन्द्र विश्वविद्यालय दुर्ग की कार्यपरिषद् के समक्ष प्रकरण पर विचार शेष है) के आधार पर सशर्त एक माह का समय प्राचार्य के धारा 28 में नियुक्ति किये जाने की आदेश पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए दिया जाय तथा प्रवेश प्रक्रिया में नाम सम्मिलित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में 50 सीट के लिए दी जा रही अनुमति वापस विश्वविद्यालय द्वारा ले ली जायेगी तथा प्रवेशित छात्रों को अन्य केन्द्रों पर स्थानान्तरित किया जायेगा।
3. राजनानंदगांव जिले के आस-पास ऐसे शिक्षा महाविद्यालय जहां प्राचार्य है उनसे सहमति/आवेदन मंगा लिया जाय।

कार्यवाही — क्षेत्रीय सेवा प्रभाग

प्रस्ताव क्र. 02 – विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के 39 वी. बैठक एजेण्डा बाई सर्कुलेशन के कार्यावाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के 39 वी. बैठक एजेण्डा बाई सर्कुलेशन के कार्यावाही विवरण अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 03 – अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में लागु हेतु दिशा निर्देश एवं पात्रता आवेदन पत्र को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय – अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के पात्रता संबंधी जारी दिशा-निर्देश यथावत अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। पात्रता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आवेदन पत्र पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के अनुकूल संशोधित कर लिया जाय। प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को राज्य में निवासरत होने का प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार किया जाय।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 04 – विश्वविद्यालय के सत्र 2021-2022 में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा Online माध्यम से प्राप्त Feedback के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय के सत्र 2021-2022 में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा Online माध्यम से प्राप्त Feedback को अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय के विभिन्न Stakeholder द्वारा प्राप्त Feedback के Action Taken Report के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय के विभिन्न Stakeholder द्वारा प्राप्त Feedback के संशोधित Action Taken Report को अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 06 – एक साथ दो पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों से प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विषय में विचार संबंधी।

निर्णय – नोटराइज्ड शपथ पत्र लेकर प्रवेश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही – अकादमी विभाग

प्रस्ताव क्र. 07 – छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 536/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, नवा रायपुर दिनांक 16/08/2022 की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – बड़े हुए मंहगाई दर के अनुसार भुगतान संबंधी प्रावधान को लागु करना मान्य करते हुए सूचना ग्रहण किया गया।

कार्यवाही – वित्त विभाग

प्रस्ताव क्र. 08 – केन्द्रीय जेल जगदलपुर से 33 नग (01 सीटर) सोफा सेट क्रय की सूचना ग्रहण करने संबंधी।

निर्णय – केन्द्रीय जेल जगदलपुर से 33 नग (01 सीटर) सोफा सेट क्रय को मान्य करते हुए सूचना ग्रहण किया गया। यह विश्वविद्यालय बजट के मद क्रमांक A2-7.7 से विकलनीय होगा।


कार्यवाही – भण्डार विभाग

प्रस्ताव क्र. 09 – छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रस्तावित बी.एड., डी.एल.एड. एवं सांस्कृतिक भवन के ड्राइंग-डिजाइन के अनुमोदन पर विचार संबंधी।


निर्णय – छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रस्तावित बी.एड., डी.एल.एड. एवं सांस्कृतिक भवन के ड्राइंग-डिजाइन में पार्किंग को सम्मिलित करते हुए अनुमोदित किया गया यह भी निर्णय लिया गया कि DPR में सम्मिलित किया जाय एवं कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखा जाय।

कार्यवाही – यांत्रिकी विभाग

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।



(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष



कुलसचिव/सचिव

पृ. क्रं. 55/का.प./बैठक/2022,
प्रतिलिपि –

बिलासपुर, दिनांक 18/08/2022

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –
- 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्षा पड़ाव नगर, पंचायत केशकाल, जिला कोण्डागांव।
- 3.3 श्री गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
- 3.4 श्री आर.के. पटेल, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
- 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
- 3.6 सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
- 3.8 पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।

- 3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, रासकडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
- 3.11 डॉ. प्रकृति जेम्स, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
- की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।
4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।


कुलसचिव